केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं ए.एन.आर.

बनाम

सतबीर सिंह महला

(सिविल अपील संख्या. 1666 of 2008)

फरवरी 29, 2008

(एच.के. सेमा और मार्कण्डेय काटजू, जे.जे.)

सेवा कानूनः

दुर्व्यवहार-हटाना-उत्तरदाता का-स्कूल शिक्षक के द्वारा प्रधानाचार्य को उनके कार्यालय कक्ष में शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और उसकी आंख पर गंभीर चोट पहूंचाने-औचित्य-आयोजितः न्यायोचित-उत्तरदाता शिक्षक होने के योग्य नहीं है।

प्रतिवादी-स्कूल शिक्षक ने शारीरिक रूप से स्कूल के प्रिंसीपल पर अपने कार्यालय के कमरे में हमला किया, जिसके कारण उसकी आंख पर गंभीर चोट लगी। अगले दिन उत्तरदाता ने एक लिखित क्षमा याचना प्रस्तुत की। हालांकि, उन पर आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके अनुसार जाँच अधिकारी ने उन्हें दोषी पाया और उन्हें सेवा से हटा दिया गया। न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रतिवादी ने कदाचार का कार्य मानसिक तनाव

के अंतर्गत किया गया, जिसके लिए उन्होंने अपनी लिखित क्षमा याचना प्रस्तुत की और चूंकि उसके पास परिवार का भरण-पोषण था, इसलिए सेवा से हटाने की सजा असंगत थी। तद्नुसार न्यायाधिकरण ने निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया और संचयी प्रभाव के साथ पांच साल के लिए तीन वेतन वृद्घियों को रोकने की सजा को कम कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा।

इसलिए वर्तमान अपील न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

एक शिक्षक को समाज में आदर्श किरदार निभाना होता है। वह एक 'गुरू' है, जो छात्रों के लिए उदाहरण स्थापित करते हैं। एक व्यक्ति जो संस्थान के प्रिंसीपल पर शारीरिक हमला करता है, वह शिक्षक होने के योग्य नहीं है। वह एक तरीके से गुण्डा है। इसलिए, न्यायाधिकरण के लिए प्रतिवादी को दी गई निष्कासन की सजा में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं है। तद्नुसार प्रतिवादी के विरूद्घ पारित निष्कासन आदेश बहाल किया जाता है। (पैरा 8) (633-D,E,F)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1666/2008

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के डी.बी.सी.डबल्यू.पी. क्रमांक 3812/2002 में दिनांकित 31.01.2006 निर्णय और अंतिम आदेश से।

अपीलार्थीयों की ओर से एस. राजप्पा

प्रतिवादी की ओर से डाक्टर सुशील बलवाडा।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति मार्कण्डेय काटजू, जे. के द्वारा दिया गया-

1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के दिनांक 31.01.2006 के आक्षेपित निर्णय के विरूद्घ दायर की गई है, जो 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 3812 है।

3. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4. मामले के तथ्य यह हैं कि इस अपील में प्रतिवादी एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था (इसके बाद संक्षेप में "टीजीटी शिक्षक")(गणित) अपीलार्थी की सेवा में जो केन्द्रीय विद्यालय है। दिनांक 23.02.1999 को जब केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 1, वायुसेना सूरतगढ़ में टीजीटी शिक्षक (गणित) के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने स्कूल के प्रिंसीपल के साथ उनके कार्यालय के कमरे में मारपीट की, जिससे प्रिंसीपल श्री आर.डी. शाह की दांयी आंख पर गंभीर चोट आयी। अगले दिन उन्होंने एक लिखित क्षमा याचना प्रस्तुत की थी। हालांकि उनके खिलाफ आरोप

पत्र दायर किया गया था और उनके खिलाफ जांच की गयी थी और जांच अधिकारी के द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.02.2000 प्रस्तुत की थी, जिसकी एक प्रति इस अपील के अनुबंध पी-4 में है।

5. जांच अधिकारी ने प्रतिवादी को दाेषी पाया और तद्नुसार दिनांक 01.05.2000 को सेवा से हटाने का आदेश उनके विरूद्घ अनुशासनात्मक प्राधिकारी के द्वारा पारित किया गया था। प्रतिवादी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की, जिसने अपील खारिज कर दी।

6. इसके बाद प्रतिवादी के द्वारा एक ओ.ए. केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर के समक्ष दायर की। न्यायाधिकरण का यह विचार था कि प्रतिवादी के द्वारा मानसिक तनाव के अंतर्गत कदाचार का कृत्य किया गया था, जिसके लिए उसने अपनी एक लिखित क्षमा याचना प्रस्तुत की थी, कि उसे परिवार का भरण-पोषण करना पड़ता है। अतः न्यायाधिकरण का मानना था कि सेवा से हटाने की सजा असंगत है तथा, बजाए, न्यायाधिकरण ने संचयी प्रभाव से तीन साल की अवधि के लिए वेतन वृद्घि रोकने की सजा कम कर दी। तद्नुसार, न्यायाधिकरण के द्वारा निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया।

7. अपीलार्थी ने एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की, जिसने न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण को बरकरार रखा और रिट को

खारिज कर दिया। इसलिए यह विशेष अनुमति के माध्यम से अपील की गयी है।

8. हम न्यायाधिकरण तथा उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। एक शिक्षक को समाज में एक आदर्श किरदार निभाना होता है। वह एक 'गुरू' है, जो छात्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। हमारी राय में, जो व्यक्ति संस्थान के प्रिंसीपल पर शारीरिक हमला करता है, वह शिक्षक बनने के लायक नहीं है। वह एक गुण्डे की तरह है, इसलिए, न्यायाधिकरण के लिए प्रत्यर्थी को दी गई निष्कासन की सजा में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं है। उपर दिए गए कारणों से उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के आक्षेपित फैसले को हमारे द्वारा अपास्त किया जाता है, साथ ही साथ प्रतिवादी के विरूद्घ पारित निष्कासन आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

बी.बी.बी.

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रियंका मीना, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।